

मध्यप्रदेश विधान सभा



जनवरी, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 12 जनवरी, 2009 (पौष 22, 1930)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री.
- (2) श्री वेदप्रकाश गोयल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री.
- (3) श्री अजीत कुमार पांजा, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री.
- (4) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, राज्य सभा सदस्य.
- (5) श्री ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य.
- (6) श्री सुनील नायक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (7) श्री मदनलाल भंडारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (8) श्री जगन्नाथ यादव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (9) श्री रवि आर्य, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (10) श्री यशवंतराव खोंगल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (11) श्री महेश प्रसाद शुक्ला, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (12) श्री महेश दत्त मिश्र, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (13) श्री गनपत सिंह उइके, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (14) श्री भुवनलाल पारधी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (15) श्री मोतीलाल दवे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (16) श्री जगदीश पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (17) श्री जगदीश गुप्ता, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (18) श्री पूरन सिंह पलैया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (19) मुंबई शहर पर हुए आतंकवादी हमलों में मृत व्यक्ति.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे. :-

- (1) ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008),
- (2) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) ; तथा,
- (3) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, तथा,

(ख) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 53 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5719-4948-2005-तेरह, दिनांक 21 अगस्त, 2008 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 6-2-2008-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 7 मई, 2008 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदत्त विधेयकों की सूचना.

5. वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2009

को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

भोपाल :
दिनांक : 11 जनवरी, 2009

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.